(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 16/2024

पंजीकरण संख्या :– 2024/50

बउनवान

रोडीबाई पुत्री श्री गोपाल पत्नि श्री गणेश जाति भील निवासी दीगोदखालसा तह. छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

कालीबाई पुत्री श्री गोपाल पत्नि श्री गुलाबचंद जाति भील निवासी हाल मुकाम कुम्भाखेड़ी तह. छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार, छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 09/2012 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री आलोक गोयल अभिभाषक (अपीलांट)

2– अनुपस्थित (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 24.10.2024

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 09/2012 बउनवान कालीबाई बनाम रोडीबाई में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2024 से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 13.03.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई जिसके प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गई। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है एवं उसकी पावती रसीद भी संलग्न है। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रही है। प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक की एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपील मेमो के तथ्यो को दोहराते हुये कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सूचना दिये एकतरफा मे ग्राम दीगोद खालसा तहसील छीपाबडौद की खसरा नम्बर 1017/744 रकबा 10 बीघा पर कालीबाई व रोडीबाई का हिस्सा बराबर मे नाम दर्ज करने का आदेश दिनांक 05.02.2024 गलत दिया है। उक्त भूमि के पूर्व खातेदार श्री गोपाल पुत्र बलदेव भील थे, जिन्होने अपने जीवन काल मे उक्त भूमि की वसीयत रोडीबाई अपीलांट के हक मे जरिये वसीयतनामा दिनांक 30.05.2003 से निष्पादित कराकर नोटेरी करा दी थी तथा श्री गोपाल जी की मृत्यु होने पर उक्त भूमि का इन्तकाल नम्बर 1151 दिनांक 24.12.2004 अपीलांट रोडीबाई के खाते दर्ज की थी। जिसके विरूद्ध कालीबाई रेस्पो0 ने उप जिला कलेक्टर, छबडा के यहां पर उक्त इन्तकाल के विरूद्ध अपील की थी, जो दिनांक 31.01.2008 को पुनः दोनो पक्षों को सुनने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद को प्रतिप्रेषित की गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:56:50 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा अपीलांट को सुनने एवं साक्ष्य का उचित अवसर दिये बिना अनजाने कारणों के आधार पर इन्तकाल नम्बर 1624 दिनांक 27.01.2017 की जाँच पत्रावली के लम्बित रहने के दौरान ही खोलने का आदेश दे दिया था तथा उसके बाद दिनांक 22.06.2018 को भी इसी बाबत आदेश दिया था जिसके विरूद्ध अपीलांट ने माननीय अपर जिला कलेक्टर, बारॉ के यहां अपील पेश की थी, जिसमे दौराने अपील दिनांक 09.08.2018 को वादग्रस्त आराजी के रिकार्ड व मौका स्थिति को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया था तथा मूल अपील प्रकरण संख्या 110/2018 रोडीबाई बनाम कालीबाई के निर्णय दिनांक 28.08.2019 से स्वीकार किया जाकर इन्तकाल नम्बर 1624 दिनांक 27.01.2017 को निरस्त किया गया था तथा पत्रावली गुणावगुण पर पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार छीपाबडौद को वापस भिजवाई गई थी।

यह कि तहसीलदार छीपाबडौद ने अनेक बार निवेदन करने पर भी उक्त पत्रावली मे कार्यवाही प्रारम्भ नही की तथा यह कहते रहे कि जब कार्यवाही प्रारम्भ करेगें, आपको नोटिस आ जायेगा। पत्रावली का अवलोकन करने पर विदित हुआ है कि पत्रावली मे दिनांक 03.10.2023 को सबसे पहले सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने का आदेश दिया तथा आगामी दिनांक 18.10.2023 नियत की। यह कि पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित हुआ है कि नोटिस दिनांक 18.10.2023 के स्थान पर दिनांक 09.10.2023 को नोटिस जारी कर दिये तथा नोटिस के ऊपर तामील होने बाबत कोई अंकन दर्ज नही किया गया। एक पृथक कागज पर निम्न अंकन किया गया। मौके पर रोडीबाई पुत्र श्री गोपाल पत्नि गणेश भील नही मिली। मकान पर उपस्थित गवाहान के समक्ष नोटिस चस्पा किया। नोटिस चस्पा करने वाले कर्मचारी के पद व पूर्ण नाम व पता अंकित नही किया। इसी तरह जिन दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर करना बताया उनका नाम, पिता का नाम, जाति व निवास भी इस पर अंकित नही किया। यह फर्जी तामील है जो अपीलांट के हक को नुकसान पहुचाने हेतु रिकार्ड मे शामिल की गई है। अपीलांट के मकान पर कभी भी कोई नोटिस चस्पा नही किया, कोई सूचना जारी नही की गई।

यह कि न्यायालय की पत्रावली दिनांक 18.10.2023 को निकली जिसमे भी तामील अदम तामील मानी तथा अदम तामील की स्थिति मे उसके घर पर चस्पा करवा कर पत्रावली दिनांक 02.11.2023 को पेश होने का आदेश दिया। पुनः रोडीबाई को कोई सूचना जारी नही की। दिनांक 02.11.2023 को दोनो को पुनः नोटिस जारी करने का आदेश दिया। रोडीबाई को पुनः नोटिस जारी नही किया। बिना सूचना दिनांक 27.11.2023 को कालीबाई के मौखिक बयान ले लिये व पत्रावली को आदेश मे नियत किया तथा दिनांक 31.01.2024 को एकतरफा मे निर्णय हेतु पत्रावली रखी जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत श्री गोपाल के बाबत कोई जांच नही की। अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया। एकतरफा निर्णय दिया है जो अवैधानिक होने से निरस्त होने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे।

प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा अपीलांट रोडीबाई को न्याय के विधिक सिद्वान्तों के अनुरूप सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 09/2012 बउनवान कालीबाई बनाम रोडीबाई में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2024 खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार छीपाबडौद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित/ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्ष को समान रूप से न्याय के विधिक प्रावधानों के अनुरूप सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय अभिलिखित करे।

निर्णय आज दिनांक **24.10.2024** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:56:50 IST
Reason: SelfAttested